

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)
रिक्ति विज्ञापन

ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग) के अधीन पंचायत राज स्वशासन परिषद्, झारखण्ड में निम्नलिखित पदों के लिए अल्पावधि संविदा के आधार पर रिक्तियां भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है :-

1. पद की संख्या:

पद का नाम	रिक्तियों की संख्या
जिला समन्वयक	प्रत्येक जिला – एक (हजारीबाग जिला छोड़कर)

2. आयु सीमा:

दिनांक 01.08.2017 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। अनारक्षित -35 वर्ष, पिछड़ा/अन्यंत पिछड़ा वर्ग – 37 वर्ष, महिला अनारक्षित, पिछड़ा एवं अन्यंत पिछड़ा वर्ग- 38 वर्ष एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)- 40 वर्ष

3. मानदेय/संविदा राशि :- 17340 /- रुपये प्रति माह।

4. आवेदन की प्रक्रिया:

आनलाईन आवेदन विभाग के वेबसाइट www.applyrdd.jharkhand.gov.in पर समर्पित किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि online आवेदन से पूर्व अपनी योग्यता एवं अर्हता के सम्बन्ध में संतुष्ट हों लें। आवेदन केवल ONLINE ही जमा किया जा सकता है। online आवेदन की तिथि दिनांक 12.01.2018 से 27.01.2018 तक है।

5: जो अभ्यर्थी पूर्व में अपना आवेदन सफलता पूर्वक समर्पित कर चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है।

6: विस्तृत विज्ञापन एवं विवरण हेतु कृपया www.applyrdd.jharkhand.gov.in पर जाये।

(रंजीत रंजन प्रसाद)
अवर सचिव
ग्रामीण विकास विभाग (पंचायत राज),
झारखण्ड, रांची।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

पंचायत राज स्वशासन परिषद अंतर्गत, निहित प्रावधान एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप सृजित: जिला समन्वयक के पद पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उम्मीदवार अहर्ता अनुसार निम्नांकित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन वेबसाइट www.applyrdd.jharkhand.gov.in पर लॉगइन करके समर्पित किया जा सकता है।

1: जिला समन्वयक की रिक्तियां :

क्रमांक	पद का नाम	पद संख्या	मानदेय / संविदा राशि
क)	जिला समन्वयक	प्रत्येक जिला में एक (हजारीबाग को छोड़कर)	17340 /- रुपये प्रति माह (सरकार द्वारा राशि में कमी या वृद्धि की जा सकेगी)

2 (क) आयु सीमा, अनिवार्य योग्यता, कार्य अनुभव एवं कार्य विवरण : जिला समन्वयक

आयु सीमा	21-35 वर्ष
राष्ट्रीयता	भारतीय
स्थानीयता	आवेदक जिस जिले के लिए आवेदन समर्पित कर रहा हो उस जिले का स्थानीय निवासी होना चाहिए
अनिवार्य योग्यता	सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम.टेक/एम.इ/एम.बी.ए/एम.सी.ए/पी.जी.डी.आर.डी/ पी.जी.डी.आर.एम/ पी.जी.डी.बी.ए/पी.जी.डी.बी.एम या ग्रामीण विकास/समाज कार्य/ राजनीति विज्ञान/ लोक प्रशासन/ समाजशास्त्र/ मानवशास्त्र/ भूगोल/ अर्थशास्त्र/ वाणिज्य/ सांख्यिकी से सम्बंधित विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर
कार्य अनुभव	<ul style="list-style-type: none"> ● न्यूनतम 3 वर्षों का सरकारी संस्थाओं/विभागों/प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्थाओं में कार्य का अनुभव ● पंचायत राज व्यवस्था के कार्य प्रणाली की विस्तृत जानकारी
कार्य का विवरण	<ul style="list-style-type: none"> ● पंचायत स्वयं सेवकों के चयन, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन राशि एवं पंचायत के कार्यों में उनकी सहभागिता के सम्बन्ध में परिषद के निर्णयों का अनुपालन ● परिषद के वांछित प्रतिवेदनों का प्रेषण ● पंचायत राज व्यवस्था से सम्बंधित प्राधिकारों, संस्थाओं, हितधारकों से समन्वय ● परिषद द्वार सौंपे गये अन्य कार्य

3: रिक्त पदों की चयन प्रक्रिया

3 (क) : जिला समन्वयक

- (i) शैक्षणिक योग्यताओं एवं कार्यानुभव के स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों की श्रेणीवार “प्रारंभिक मेधा सूची” तैयार की जायेगी
- (ii) “प्रारंभिक मेधा सूची” में अंकित अभ्यर्थियों को लिखित / दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
- (iii) शैक्षणिक योग्यता स्कोर, कार्यानुभव स्कोर एवं लिखित / दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर अंतिम मेधा सूची नियुक्ति हेतु तैयार की जायेगी

योग्यता स्कोर निर्धारित करने की प्रक्रिया:-

i. प्रारंभिक मेधा सूची

क) प्रत्येक पद के लिए प्रारंभिक मेधा सूची निर्धारित करने की प्रक्रिया के अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता का 60% weightage एवं कार्यानुभव का 20% weightage जोड़ कर निकाला जाएगा

ii. अंतिम मेधा सूची

अंतिम चयन के लिए शैक्षणिक योग्यता का 60% weightage, कार्यानुभव का 20% weightage एवं लिखित परीक्षा का 20% weightage को जोड़ कर तैयार किया जायेगा

4: वार्षिक समीक्षा

जिला समन्वयक जिनके नियंत्रि पदाधिकारी, सचिव ग्रामीण विकास है के द्वारा उनके कार्य की वार्षिक समीक्षा की जाएगी।

5: संविदा पर नियुक्ति हेतु नियम एवं शर्तें

- i. इन पदों पर नियुक्ति पूर्णतः संविदा (contractual basis) के आधार पर होगी।
- ii. ऐसे नियुक्त व्यक्तियों को नियमित रूप से नियुक्त करने का परिषद् पर कोई दायित्व नहीं होगा।
- iii. नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जाएगी। तत्पश्चात कार्य संतोषजनक पाए जाने पर संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीनीकरण किया जा सकेगा अन्यथा ऐसी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जाएगी।
- iv. यदि कोई कर्मी स्वतः सेवा मुक्त होना चाहेगा तो उसे 1 माह पूर्व लिखित रूप से सूचित करने अथवा 1 माह की परिलब्धि जमा करने पर सेवा मुक्त किया जायेगा, किन्तु असंतोषप्रद सेवा की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा एक माह के पूर्व सूचना अथवा एक माह की परिलब्धि दे कर सेवा समाप्त की जाएगी।
- v. संविदा पर नियुक्त कर्मी को कैलंडर वर्ष के लिए राज्य कर्मियों के अनुरूप आकस्मिक अवकाश देय होगा परन्तु वे किसी अन्य अवकाश के हकदार नहीं होंगे।
- vi. संविदा पर नियुक्त कर्मी को नियतमानदेय अनुमान्य होगा। नियत मानदेय के अलावे किसी प्रकार का भत्ता अनुमान्य नहीं होगा किन्तु सरकारी कार्य के लिए की गई यात्रा के लिए नियत प्रावधानों के तहत यात्रा भत्ता देय होगा।
- vii. संविदा पर नियुक्त कर्मी के लिए राज्य कर्मियों की आचार संहिता लागू होगी।

6: आरक्षण :

1: विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक झारखण्ड सरकार में लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे।

2: स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत होने के उपरान्त ही आनलाईन आवेदन भरना सुनिश्चित करे।

7: लिखित परीक्षा का स्वरूप (जिला समन्वयक)

- परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे।
- प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। परीक्षा की भाषा हिंदी/अंग्रेजी होगी।
- परीक्षा में निम्नलिखित विषयों से सम्बंधित बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जायेंगे :
 - सामान्य ज्ञान : 20 प्रश्न
 - झारखण्ड राज्य से सम्बंधित ज्ञान: 20 प्रश्न
 - पंचायत राज व्यवस्था : 20 प्रश्न
 - सामान्य गणित : 20 प्रश्न
 - मानसिक क्षमता जांच : 20 प्रश्नकुल अंक : 100

8 (क): परीक्षा का पाठ्यक्रम :

- सामान्य ज्ञान:** इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसा की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत एवं पड़ोसी देशों के सम्बन्ध में विशेष रूप से यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम- सामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी एवं महत्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, भूगोल, संस्कृति, आर्थिक परिदृश्य, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएँ।
- झारखण्ड राज्य का ज्ञान:** राज्य की सभ्यता, संस्कृति,, भाषा, स्थान, खान-खनिज, उद्योग, भूगोल, एवं इतिहास, राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखण्ड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, नागरिक उपलब्धियां, पुरस्कार इत्यादि।
- पंचायत राज व्यवस्था:** पंचायत राज व्यवस्था का इतिहास, संविधान के 73 वें संशोधन के मुख्य प्रावधान एवं महत्व, विभिन्न समितियों की अनुशंसाएं, संशोधन की प्रमुख धाराएँ एवं अनुसूचियां, झारखण्ड में पंचायत राज व्यवस्था एवं अधिनियम के मुख्य प्रावधान
- सामान्य गणित:** इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रफल से सम्बंधित प्रश्न रहेंगे।
- मानसिक क्षमता जांच:** इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे। इस घटक में निम्न से सम्बंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं : सादृश, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, सम्बन्ध अवधारण, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

9: परीक्षा शुल्क :

परीक्षा शुल्क रुपये : 500/- (पाँच सौ) है जिसे online समर्पित किया जाएगा । अन्य माध्यमों से समर्पित परीक्षा शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा ।

शुल्क में छुट : झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 250/- (दो सौ पच्चास रुपये) है । बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे । परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा ।